प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

05 अप्रैल 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों'' संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (वाणिज्यिक) 2017 की संख्या 6, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट दिनांक 05 अप्रैल 2017 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, 1984 में संशोधित की धारा 19 ए के अनुसार बनाया गया है। इस रिपोर्ट में पांच अध्याय है। अध्याय-1 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखो द्वारा दर्शाए तथा लेखापरीक्षा में प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय निष्पादन का सम्पूर्ण अधिमूल्यन दर्शाता है, अध्याय-2 वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की निरीक्षण भूमिका दर्शाता है। इसमें सीएजी द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण टिप्पणियॉ तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण अर्हता तथा लाभ एवं हानि खाते और तुलन पत्र पर इसका प्रभाव सम्मिलित है। यह प्रतिवेदन सीपीएसईज द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, तथा निगमित अभिशासन और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा प्रशासनिक मंत्रालय एवं सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन के विश्लेषण को दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शाई गई है:

अध्याय 1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 607 सीपीएसईज थे। इनमें 410 सरकारी कंपनियां, 191 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा 6 सांविधिक निगम शामिल थे। यह रिपोर्ट 378 सरकारी कंपनियों, 170 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य

कंपनियों तथा 6 सांविधिक निगमों सहित 554 सीपीएसई पर चर्चा करती है। 21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित 53 सरकारी कम्पनियों को इस प्रतिवेदन में कवर नहीं किया गया है क्योंकि इन कम्पनियों के लेखे तीन या अधिक वर्षों से लंबित थे या जो निष्क्रिय/परिसमापन के अंतर्गत थी, या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे/ बकाया थे।

निवेश पर प्रतिफल

384 सरकारी कम्पनियों तथा निगमो जिनके डाटा का विश्लेषण इस रिपोर्ट में किया गया है, में से 197 सरकारी कम्पनियो तथा निगमो ने वर्ष 2015-16 के दौरान लाभ अर्जित किया। 197 सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा अर्जित कुल लाभ ₹ 1,36,695 करोड़ था, जिसका 72.75 *प्रतिशत* (₹ 99,437 करोड़) तीन क्षेत्रों अर्थात पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत तथा कोयला एवं लिग्नाइट में 47 सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा दिया गया था।

197 सरकारी कम्पनियो तथा निगमो जिन्होंने लाभ अर्जित किया था, में से 106 सरकारी कंपनियों तथा निगमों ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 71,887 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्ति योग्य लाभांश ₹ 41,185 करोड़ का था, जिसने सभी सरकारी कंपनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 2,96,061 करोड़) पर 13.91 *प्रतिशत* प्रतिफल प्रस्तुत किया।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 13 सरकारी कंपनियों ने सभी सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 23.05 *प्रतिशत* प्रस्तुत करते हुए ₹ 16,570 करोड़ का योगदान दिया।

37 सरकारी कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकार के निर्देश के अननुपालन के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹ 9,011 करोड़ की कमी हुई।

निवल परिसम्पत्ति /संचित हानि

67 सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश उनकी संचित हानियों से पूर्णत: नष्ट हो गया था। इसके परिणामस्वरूप इन कम्पनियों की कुल निवल संपति 31 मार्च 2016 को ₹ 79,227 करोड़ की सीमा तक नकारात्मक हो गई थी।

अध्याय - II सीएजी की निरीक्षण भूमिका

502 सीपीएसईज, जिन्होने 30 सितम्बर 2016 तक 2015-16 के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए थे, में से 312 सीपीएसईज के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सीएजी ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा लेखापरीक्षा के समय पर समापन के लिए सर्वसम्मति आधार पर सीपीएसईज के लेखों की तीन चरणीय प्रणाली लेखापरीक्षा शुरू की

थी। 87 सीपीएसईज में तीन चरणीय लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव लाभकारिता पर ₹ 9429.71 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/ देयताओं पर ₹ 24,505.39 करोड़ था।

प्रबंधन पत्र

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताओं तथा त्रुटियों की सूचना सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से 131 सीपीएसईज के प्रबंधन को दे दी गई थी।

अध्याय - III निगमित अभिशासन

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग/भारतीय प्रतिभूति तथा विनियमन बोर्ड के निगमित अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनिवार्य होने के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कुछ सीपीएसईज द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था।

निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- 33 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं था। 13 सीपीएसईज में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।
- 18 सीपीएसईज में, स्वतंत्र निदेशकों के पद तथा 9 सीपीएसईज में कार्यकारी निदेशकों के पद समय पर नहीं भरे गए थे।
- तीन सीपीएसईज में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था। छह सीपीएसईज में लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र की समीक्षा नहीं की थी।

अध्याय - IV निगमित सामाजिक दायित्व

24 मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 76 सीपीएसईज द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा निगमित सामाजिक दायित्व पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के पालन की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित पाया गया:

- चार सीपीएसईज ने बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति का गठन प्रकट नहीं किया था। आठ सीपीएसईज ने या तो सीएसआर अथवा स्थिरता नीति नहीं बनाई या सीपीएसईज की नीति बोर्ड द्वारा यथावत अनुमोदित नहीं थी।
- चार सीपीएसईज ने सीएसआर व्यय के लिए बजट के प्रति तीन तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत निवल लाभों की कम से कम दो प्रतिशत निर्धारित राशि आबंटित नहीं की थी।

- 36 सीपीएसईज, जिन्होने निगमित सामाजिक दायित्व पर हुए वास्तविक व्यय से संबंधित सूचना का रख-रखाव किया था, में से 27 ने सीएसआर कार्यकलापों के लिए निर्धारित की गई पूरी राशि खर्च कर दी थी तथा 9 सीपीएसईज में अव्ययित राशि ₹ 193 करोड़ थी।
- दो सीपीएसईज ने उनके बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं की थी। पूर्ण परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए प्रभावी निर्धारण 19 सीपीएसईज के मामले में नहीं किया गया था।

अध्याय-V प्रशासनिक मंत्रालयो एवं सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए सात 'महारत्न' सीपीएसईज के द्वारा हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन की समीक्षा की गयी थी और निम्नलिखित महत्व अभ्युक्तियां की गईः

- ड्राफ्ट एमओयू के साथ वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/निगम योजना को प्रस्तुत न करने तथा एमओयू लक्ष्यों के साथ योजना का संरेखण न करने के उदाहरण तीन सीपीएसईज में देखे गए थे। दो सीपीएसईज के मामले में अंतिम एमओयूज के हस्ताक्षर करने में देरी हुई थी।
- डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान की तुलना में राष्ट्रीय तथा वैश्विक समकक्षों के साथ बेंचमार्किंग दो सीपीएसईज द्वारा नहीं की गई थी। दो सीपीएसईज के मामले में, निश्चित किए गए लक्ष्य पिछले वर्ष की उपलब्धि से कम थे।
- लेखापरीक्षा ने एक सीपीएसई द्वारा स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में गलत सूचना प्रस्तुत करना तथा/या लघु और मध्यम उपक्रम, सुक्ष्म मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीपीएसईज द्वारा अपूर्ण प्रमाणन भी देखा गया था। तीन सीपीएसईज ने डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।